



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852



पत्रांक : ०१ / यो०बजट-४५ / २०१९-७२५

दिनांक : ०१.१२.२०२०

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/  
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना “पलामू व्याघ्र” योजना के अंतर्गत अनावर्ती कार्यों (६०:४०) हेतु ₹० ७४.३०५ लाख (चौहत्तर लाख तीस हजार पाँच सौ रुपये) एवं आवर्ती कार्यों (५०:५०) हेतु ₹० १३५.७४६२० लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख चौहत्तर हजार छः सौ बीस रुपये) कुल ₹० २१०.०५१२० लाख (दो करोड़ दस लाख पाँच हजार एक सौ बीस रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४ / यो०ब०-३४ / २०२०-२० / स्वी० व०प० दिनांक २५.११.२०२० एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४ / यो०बजट-३४ / २०२०-३३ / आ० व०प० दिनांक २७.११.२०२०।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-०२ पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-११० वन्य जीव परिरक्षण, उप शीर्ष-०८ पलामू व्याघ्र योजना अनावर्ती कार्य (६०:४०) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल ₹० ७४.३०५ लाख (चौहत्तर लाख तीस हजार पाँच सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

**(क) केन्द्रांश (६०%)**

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C240602110080103	42.6930
आपूर्ति एवं सामग्री	19C240602110080323	1.890
कुल :-		44.583

**(क) राज्यांश (४०%)**

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240602110080103	28.462
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240602110080323	1.260
कुल :-		29.722

✓ ✓

बजट मुख्य शीर्ष-2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष-110 वन्य जीव परिशेषण, उप शीर्ष-21 प्रोजेक्ट टाईगर पलामू योजना आवर्ती कार्य (50:50) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 135.74620 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख चौहत्तर हजार छ: सौ बीस रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

**(क) केन्द्रांश (50%)**

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19C240602110210103	66.3606
आपूर्ति एवं सामग्री	19C240602110210323	1.5125
<b>कुल :-</b>		<b>67.8731</b>

**(क) राज्यांश (50%)**

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240602110210103	66.3606
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240602110210323	1.5125
<b>कुल :-</b>		<b>67.8731</b>

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 एवं 2 पर वर्णित पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी, झारखण्ड, रौची होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जाएगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, विमुक्त राशि एवं अधिरोपित शर्तों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाएगा।

5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 4-1(16)2018-PT दिनांक 20.06.2018 में निहित सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. (I) स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रौची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

(II) स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(III) राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम - 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।



(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. (I) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमणडलीय लेखा में प्रवृष्टि की समीक्षा करेंगे एवं समीक्षोपरान्त इस कार्यालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(III) भारत सरकार को आवश्यक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाएगा।

(III) नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यता हो, तदनुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।

8. Monitoring के संबंध में विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जाएगी :—

(I) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।

(II) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।

(III) विभागीय स्थापित monitoring के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monotoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

9. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान बौद्धि प्राप्त करके उसका आंशिक सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर भी एकत्र किया जाय।

(V) उप आवंटित राशि के अधीन तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

(VI). सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा।

(VII). बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके।

(VIII). Income tax(IT)/ Service Tax(GST/VAT)/ Mines Royal के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना

के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

**11.** (I) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।

(II) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी।

**12.** **COVID-19** के रोकथाम के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जाएगा उनके Social distancing तथा उनके मास्क का पयोग अनिवार्य रखा जाएगा।

**13.** निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

**14.** नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखे कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरणीकरण न हों।

**15.** योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

**16.** इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपदान विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2018 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जाएगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक 686 दिनांक 05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

**17.** निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

**18.** स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542 दिनांक, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

(I) पलामू व्याघ्र परियोजना (60:40) में मुख्यतः congenial environment for healthy sustenance and breeding of tiger & other wild animals का लक्ष्य है।

(II) पलामू व्याघ्र परियोजना (50:50) में भी लगभग उक्त 26(i) का लक्ष्य है।

(III) Palamau Tiger Conservation Foundation को पूर्णतः सक्षम प्रधिकार बनाने हेतु आवश्यक कार्य किया जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—45 / 2019—725

दिनांक—01.12.2020

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योबजट—45 / 2019—725

दिनांक—01.12.2020

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्ति ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजना “पलामू ब्याघ योजना” (60:40) के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय हेतु प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(As per APO Sanctioned - 2020-21)

अनावर्तक व्यय (60:40)

(राशि लाख ₹० में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	कार्य स्थल	इकाई	संख्या / पूनिट	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम			कुल							
					उप निदेशक, पलामू ब्याघ परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, भेदनीनगर	उप निदेशक, पलामू ब्याघ परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, भेदनीनगर	संख्या / पूनिट								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	अवैध शिकार का रोकथाम								45	35.0775	35.0775	-	-	70.1550	
(क)	टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना पर व्यय।	Core Zone	Section	45	35.0775	35.0775	-	-	35.0775	35.0775	35.0775	0.0000	0.0000	70.1550	
3	शोध एवं बोत्रीय उपकरण								1.0000	1.0000	-	-			
(क)	वन्यजागीयों पर शोषण एवं आकर्ष के अनुश्रवण पर व्यय।	Core Zone		-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-		1.0000	
5	इको विकास														
(क)	पलामू ब्याघ आरक्ष की परिधि एवं उसके अन्तर पालतृ पशुओं के टोकाकरण पर व्यय।	Buffer Zone	टीकाकरण	-	0.7500	-	0.7500	-	0.7500	-	0.7500	-	0.7500	-	1.5000
(ख)	बोत्रीक हेत्थ केमर/हेत्थ कैम का आयोजन।	Buffer Zone	Health Care		0.6500	-	0.6500	-	1.0000	-	1.0000	-	1.0000	-	1.6500
	कुल:-				1.4000	0.0000	1.4000	0.0000	1.7500	0.0000	1.7500	0.0000	1.7500	0.0000	3.1500
	महाकुल:-				36.4775	35.0775	1.4000	0.0000	37.8275	36.0775	1.7500	0.0000	37.8275	1.7500	74.3050
	सारांश (राशि लाख रु० में)														
			प्राथमिक इकाई												
	निकासी एवं व्ययन पराधिकारी का नाम	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	नये मोटर गाड़ी का क्रम	कुल										
	उप निदेशक, पलामू ब्याघ परियोजना उत्तरी प्रमण्डल, भेदनीनगर।	35.0775	1.4000	0.0000	36.4775										
	उप निदेशक, पलामू ब्याघ परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल, भेदनीनगर।	36.0775	1.7500	0.0000	37.8275										
	सकल योग:-	71.1550	3.1500	0.0000	74.3050										

  
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

ज्ञारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वयन की जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजना “पलामू झाघ योजना” (50:50) के अन्तर्गत आवर्तक व्यय हेतु प्रमण्ड

(As per APO Sanctioned - 2020-21)

आवर्तक व्यय (50:50)

अपर प्रधान मुख्य वेन सरकार, विकास,  
ज्ञारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-45/2019/725

दिनांक -

01-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 19 240602110080103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>Central Scheme</b>	60164	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	2,104,650.00 रुपये इक्कीस लाख चार हजार छ: सौ पचास
2	C 19 240602110080103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>Central Scheme</b>	60170	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	2,164,650.00 रुपये इक्कीस लाख चौसठ हजार छ: सौ पचास
				State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)

योगः


4,269,300.00


क्रमिक योगः

रुपये बयालीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ

(NAND KISHORE SINGH)  
ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 19 240602110080103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	60184	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	1,403,100.00 रुपये चौदह लाख तीन हजार एक सौ
	<b>Central Scheme (State Share)</b>			
	State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)			
4	S 19 240602110080103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	60187	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	1,443,100.00 रुपये चौदह लाख तीरयालीस हजार एक सौ
	<b>Central Scheme (State Share)</b>			
	State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)			
5	C 19 240602110080323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याघ्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	60171	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	84,000.00 रुपये चौरासी हजार
	<b>Central Scheme</b>			
	State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)			
योग:				2,930,200.00
क्रमिक योग:	रुपये इकहत्तर लाख निन्नानवे हजार पाँच सौ			7,199,500.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND	

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
6	C 19 240602110080323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याप्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>Central Scheme</b>  State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	60174	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	105,000.00 रुपये एक लाख पॉच हजार
7	S 19 240602110080323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याप्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	60191	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	56,000.00 रुपये छप्पन हजार
8	S 19 240602110080323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 08 - पलामू व्याप्र योजना के अन्तर्गत अनावर्तक व्यय 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE (NON-RECURRING)(1319) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	60194	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	70,000.00 रुपये सत्तर हजार
<hr/>				
योग:				231,000.00
क्रमिक योग:	रुपये चौहत्तर लाख तीस हजार पॉच सौ			7,430,500.00
<hr/>				
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
9	C 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाइगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>Central Scheme</b>  State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	60208	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	2,893,030.00 रुपये अठाइस लाख तिरनावे हजार तीस
10	C 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाइगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>Central Scheme</b>  State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	60210	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	3,743,030.00 रुपये सैतीस लाख तीरयालीस हजार तीस
11	S 19 240602110210103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाइगर पलामू योजना 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>Central Scheme (State Share)</b>  State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)	60214	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	2,893,030.00 रुपये अठाइस लाख तिरनावे हजार तीस
<hr/>				
योग:				9,529,090.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड उनहत्तर लाख उनसठ हजार पौंच सौ नवे			16,959,590.00
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND				

三

3,894,280.00

— 2 —

रुपये दो करोड़ आठ लाख तीरपन हजार आठ सौ सत्त्वर

20,853,870.00

आठ सौ सत्तर  
  
(NAND KISHORE SINGH)  
४५१ रोड डेली इन्डियन

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
15	S 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाइगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>Central Scheme (State Share)</b>	60218	PLMFOR069 KUMAR ASHISH IFS DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	75,625.00 रुपये पचहत्तर हजार छ: सौ पच्चीस
	State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)			
16	S 19 240602110210323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा बन्य जीव 110 - बन्य जीव परिरक्षण 21 - प्रोजेक्ट टाइगर पलामू योजना 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>Central Scheme (State Share)</b>	60221	PLMFOR068 MUKESH KUMAR DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	75,625.00 रुपये पचहत्तर हजार छ: सौ पच्चीस
	State Scheme : PALAMAU TIGER RESERVE(0421) Central Scheme : PROJECT TIGER(9155)			
<hr/>				
योग:				151,250.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड दस लाख पाँच हजार एक सौ बीस			21,005,120.00
			 (NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND	